

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 60/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक कुमावत पुत्र श्री महेन्द्र कुमावत

मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, श्रीनगर थाना श्रीनगर

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री दीपक कुमावत अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 24.09.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.04.2025 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड श्रीनगर पहुँचे। जांच दल में रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, सोनल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर जाटोलिया भारत गैस एजेन्सी, का कामिक श्री नरेन्द्र भाटी पुत्र बद्रीलाल भाटी, निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1*	008338	BPCL	15.9	30.1	14.2
2	04010 m	BPCL	15.8	25.2	9.4

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.04.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 23.6 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य को नहीं करूंगा। अतः प्रकरण का निस्तारण कर जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को लोटावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 03.04.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस मय 23.6 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

